पत्रांक– बि0प्र0सु0मि0सो/स्था0–46/2011, सो0–788

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ0 प्रतिमा,
अपर मिशन निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

पटना, दिनांक– 25/04/2019

विषय– जिला स्तर पर निर्मित पैनल के प्रतिक्षा अवधि के सबंध में।

प्रसंगः– समाहरणालय, समस्तीपुर का पत्रांक–71/बी0पी0एस0एम0, दिनांक–03.04.2019

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा मार्ग–दर्शन की मांग के क्रम में कहना है कि मिशन सोसाइटी का पत्रांक–440, दिनांक– 05.05.2016, जो स्वतः स्पष्ट है, द्वारा संसूचित है किः–

''समीक्षोपरान्त पाया गया है कि कतिपय जिलों में कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्णय लेकर कार्यपालक सहायक के पैनल की वैधता अवधि बढ़ाते हुए एक वर्ष के उपरान्त भी पैनल से नियोजन की कार्रवाई की गयी है।

उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त इस प्रकार के जिलों में चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु यह अनुमोदन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या–सू.ज.स.वि.–13689(नि.नि.)14–15 के आलोक में तैयार किये जा रहे कार्यपालक सहायक के पैनल के पूर्व के पैनल पर ही प्रभावी होगा।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या–सू.ज.स.वि.–13689(नि.नि.)14–15 के आलोक में तैयार किये जा रहे कार्यपालक सहायक के पैनल तथा इसके उपरान्त प्रकाशित होने वाले कार्यपालक सहायक के सभी पैनल की वैधता अवधि तीन वर्ष होगी।''

यह उल्लेखनीय है कि शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की दिनांक–27.07.2016 की बैठक के प्रस्ताव संख्या–20 द्वारा कार्यपालक सहायक के पैनल की वैधता की अवधि एक वर्ष बढ़ा कर तीन वर्ष कर दिये जाने तथा यह प्रावधान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विज्ञापन संख्या –सू0ज0स0वि0 13689(नि0नि0) 14–15 के आलोक में तैयार किये जा रहे कार्यपालक सहायक के पैनल तथा इसके उपरान्त प्रकाशित होने वाले सभी पैनल पर प्रभावी होगा संबंधि निर्णय पर घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है। साथ ही कार्यपालक सहायक के पैनल अवधि की वैधता से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निर्देश स्वतः विलोपित समझे जायेंगे के बिंदु पर भी शासी परिषद की स्वीकृति प्राप्त है। शासी परिषद की बैठक की कार्रवाई ज्ञापांक–924, दिनांक–19.08.2016 द्वारा निर्गत है (प्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि स्वतः स्पष्ट मार्गदर्शन के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–21867/2016 में दिनांक–04.02.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/4/19

(डॉ0 प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

E:\~PRASHANT KUMAR\Ao Sir~\Letter

ज्ञापांक— बि०प्र०सु०मि०सो०/ स्था०-46/2011 सो० 1127, दिनांक 19/06/2019

प्रतिलिपिः— सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

19-6-19

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\PREM\AO.docx480